न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : आशाराम डूडी, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 4/2018

अपीलांट

1. अमराराम पुत्र गजाजी जाति माली निवासी बिठुडा
2. गणेशा पुत्र गजाजी (फौत) के कायम मुकाम –
   2/1 सुखराज पुत्र गणेशा
   2/2 रूपाराम पुत्र गणेशा
   2/3 किशोर पुत्र गणेशा
   2/4 तलछाराम पुत्र गणेशा समस्त जातियान माली निवासीगण बिठुडा तहसील आहोर जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

1. सहायक अभियंता जो.वि.वि. नि. लि. उम्मेदपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार आहोर।

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली कैम्प-जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री चुन्नीलाल पुरोहित, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 बावजूद सूचना अनुपस्थित
3. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 02 की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांक : 15.07.2019

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर आहोर द्वारा प्रकरण सख्या 140/15 बउनवान अमराराम बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा बिठुडा तहसील आहोर जिला जालोर के पुराने खसरा नंबर 210 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, के नवीन खसरा नंबर 372 के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने को निवेदन किया जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालोर

जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद का आधार यह था कि उक्त वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में अपीलांट के दादा गजा वल्द हरसना कौम माली निवासी बिठुडा के नाम दर्ज थी। उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का पीढीयों से कब्जा काश्त मौके पर चला आ रहा है। तत्पश्चात राजस्थान सरकार भू प्रबंध विभाग द्वारा जारी मिलान अनुसार पुराने खसरा नंबर 210 के नवीन खसरा नंबर 372 कायम किये गये तथा उक्त भूमि नये सेटलमेंट में विघुत विभाग, राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज कर दी गई। जबकि सेटलमेंट विभाग को राजस्व रेकर्ड से नाम हटाने का कोई अधिकार नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद में बिना साक्ष्य सबूत लिये बिना तनकीयात कायम किये लोक अदालत कैम्प में जैर अपील निर्णय व डिक्री द्वारा वादी को वाद खारिज कर दिया गया। जो कि विधिसम्मत नहीं है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा बिठुडा तहसील आहोर जिला जालोर के पुराने खसरा नंबर 210 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, के नवीन खसरा नंबर 372 के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने को निवेदन किया जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो कि पूर्णतया विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट को आदिनांक तक कोई कब्जा काश्त नहीं रहा है। जमाबंदी संवत 2040 से 2059 के अनुसार उक्त आराजी विघुत मंडल विभाग राजस्थान सरकार के खाते में दर्ज है। वर्तमान में उक्त आराजी पर विघुत विभाग की ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। इसके अतिरिक्त अपीलांट या उनके पूर्वजो द्वारा नये सेटलमेंट के वक्त इस संबध में कोई उज्र या आपति प्रस्तुत नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। जो पूर्णतया विधिसम्मत है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाया जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी मौजा बिठुडा तहसील आहोर जिला जालोर के पुराने खसरा नंबर 210 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, के नवीन खसरा नंबर 372 के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने को निवेदन किया जिस अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई। हस्तगत प्रकरण मे वादग्रस्त आराजी विघुत मंडल विभाग के नाम सरकारी खाते में दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट ने उक्त आराजी पर अपने पूर्वजो का कब्जा होने को मौखिक कथन करते हुए खातेदारी घोषणा का वाद प्रस्तुत किया। किन्तु वादग्रस्त आराजी पर आज दिनांक पर विघुत विभाग की ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। जिससे यह स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट को कोई कब्जा काश्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली कैम्प-जालौर

नहीं रहा है। एवं जहां तक नये सेटलमेंट के वक्त राजस्व रेकर्ड में किसी प्रकार फेरबदल हुआ है तो अपीलांट या उनके पूर्वजो ने उक्त फेरबदल की कोई आपति सेटलमेंट विभाग के समक्ष प्रस्तुत नहीं की। इसके अतिरिक्त अपीलांट वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट अपने मौखिक कथनो के आधार पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा, जबकि इस संबध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य हाजा न्यायालय व अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने में असफल रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे हम किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील बलहीन व सारहीन होने से खारिज की जाती है। सहायक कलक्टर आहोर द्वारा प्रकरण सख्या 140/15 बउनवान अमराराम बनाम सरकार वगैरह में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 14.07.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

यह निर्णय आज दिनांक 15.07.19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पाली केम्प-जालोर